मरतलाल V/S L.H

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र० दावा मु०न० - 482/23	नम्बर व ... जो इस हु... में
5/6/25	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/7/25 को पेश हो। [signature]	
24/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी के निवेदन करने पर तलबाना पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी हेतु दिनांक 11/9/25 को पेश हो। [signature]	
11.9.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादी की ओर से उनके प्रतिनिधि उप० जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13/11/25 को पेश हो। [signature]	
13/11/25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण मरतलाल के वकील को सुना गया। संक्षेप मे तथ्य यह है कि वादीगण मरतलाल वगै० ने वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि खाता सं० 31 ग्राम बाट धान एवं खाता स. 129 ग्राम धान मे वादीगण के पूर्वज का नाम सावङ्या पुत्र हरया दर्ज है। जबकि उनका सही नाम सामलिया पुत्र हरया [illegible] इन खातो मे दर्ज गलत नाम [illegible] के स्थान पर सामलिया पुत्र हरया [illegible] किया जावे [illegible] सामलिया पुत्र हरया की मृत्यु [illegible] के कारण वादीगण को खाता सं० 31 ग्राम बाट धावा व खाता सं० 129 ग्राम धान मे सामलिया के नाम दर्ज भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज घोषित किया जावे।	

[signature]

P.T.O

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत मामले में तहसीलदार वजीरपुर से जवाब चाहा गया। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्रांक-भू.अ./2025/822 दि० 26.8.2025 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त वर्णित खातों में दर्ज सावड़्या पुत्र हरस्या का सही नाम सामलिया पुत्र हरस्या है एवं इसी अनुसार नाम शुद्ध किया जाना उचित है। TDR वजीरपुर ने अपने इस जवाब में यह भी अंकित किया है कि सामलिया पुत्र हरस्या फौत हो चुका है। परन्तु TDR वजीरपुर ने जवाब में यह अंकित नहीं किया है कि वादीगण मृतक सामलिया के वारिस है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से जाना उचित है अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम बाड़ा धान की जमाबंदी संवत 2075-78 के खाता नं० 31 एवं ग्राम धान की जमाबंदी संवत 2073-76 के खाता नं० 129 में दर्ज नाम सावड़्या पुत्र हरस्या के स्थान पर सामलिया पुत्र हरस्या शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार इन खातों में शुद्धि की जावें इन खातों में दर्ज अन्य प्रविष्ठियां यथावत रहेंगी। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उप जिला कलेक्टर वजीरपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested